

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 06/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए
17-06-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही उपस्थित। गैरसायल अर्जुन पुत्र हिरालाल जी, जाति- मेघवाल, निवासी- दक्षिण मेघवालवास, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यम देवन्दा ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। गैरसायल ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के वकील ने अनुरोध किया कि गैरसायल गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तागासा खारिज किया जावे।</p> <p>प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल अर्जुन पुत्र हिरालाल जी, जाति- मेघवाल, निवासी- दक्षिणी मेघवालवास, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही में राजस्थान सार्वजनिक धृत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 186 दिनांक 20-9-2023, 144 दिनांक 28-6-2024 व 226 दिनांक 23-10-2024 को दर्ज हुये हैं। उक्त सभी अपराधों में बाद अनुसंधान गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय पत्रावली पर उक्त अपराध संख्या 144 दिनांक 12-7-2024 व 226 दिनांक 23-10-2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 144 दिनांक 28-6-2024 व 226 दिनांक 23-10-2024 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 23-7-2024 व 12-11-2024 के अनुसार गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 23-10-2024 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।</p> <p>अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तागासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल अर्जुन पुत्र श्री हिरालाल, जाति- मेघवाल, निवासी- दक्षिणी मेघवाल वास, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	



  
**सि. पि. का. अधिकारी**  
**सिरौही-307001.**

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 06/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	<p>सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन की अवधि के लिये उपखण्ड क्षेत्र, सिरोही से से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड क्षेत्र सिरोही की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थिति नहीं देगा। गैरसायल उक्त निष्कासन अवधि में दिनांक 25-6-2025 व 03-7-2025 को पुलिस थाना पालडी एम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तरदीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही/पालडी एम को पालनार्थ प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. विनेश सय सापेला)</p> <p style="text-align: right;"><b>डॉ. विनेश सय सापेला</b> सिरोही-307801</p>	

